महत्वपूर्ण

संख्या 2283/नौ–9–2010–164ज/2009

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनॉक 30 नवम्बर, 2010

विषयः–बिटुमिन की आपूर्ति सीधे रिफाइनरी से प्राप्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया शासन के पत्र संख्या–197/9–7–09–1ज/ 2009 दिनांक 30.07.2009, संख्या–2497/9–9–09–164ज/2009 दिनांक 29.12.2009 संख्या–65/9–9–10–164ज/2009 दिनांक 07.01.2010 संख्या–151/9–9–10–164ज/2009 दिनांक 16.01.2010 संख्या–280/ 9–9–10–164ज/2009दिनांक 01.02.2010 संख्या– 322/ 9–9–10–164 ज/2009 दिनांक 15.02.2010 तथा संख्या–1262/9–9–10–164ज/2009 दिनांक 09.06.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से बिटुमिन की आपूर्ति सीधे रिफाइनरी से प्राप्त किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

2. बिटुमिन उत्पादन का मूल स्रोत रिफाइनरी है जहॉ से विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बिटुमिन का सीधे क्रय कर उपयोग किये जाने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। यह तथ्य संज्ञान में आये हैं कि कार्यादेश में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बिटुमिन के प्रयोग के उत्तरदायित्व हेतु कान्ट्रैक्टर का उल्लेख किया जाता है परन्तु यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि बिटुमिन की आपूर्ति रिफाइनरी से प्राप्त की गयी है या नहीं। फलस्वरूप समग्र मांग एवं रिफाइनरी से आपूर्ति में अन्तर आ जाता है और बिटुमिन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। अतएव आवश्यक है कि सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु बिटुमिन की आपूर्ति रिफाइनरी से प्राप्त की जाए।

(कु० रेखा गुप्ता)
निदेशक